न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 275-III-15 सिंगरौली

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

1. आशुतोष मिश्रा पुत्र श्री कपिलदेव मिश्रा
2. अनिल मिश्रा पुत्र श्री कपिलदेव मिश्रा

निवासीगण वार्ड नं. 45 नौगढ तहसील व जिला सिंगरौली हाल मुकाम गली नं. 10 राजेन्द्र नगर सतना जिला सतना (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्ट, सिंगरौली

..... अनावेदक

मुकेश मांडिल
2-2-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, सिंगरौी जिला सिंगरौली द्वारा प्र.कं. 05/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.10. 2011 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, वादग्रस्त आराजी ख.नं. 149 रकवा 23.39 ए. (9.466 हे.) के पूर्व भूमिस्वामी स्व. हरिवंश मिश्रा पुत्र स्व. रामसुमेर मिश्रा ग्राम मटवई तहसील सिंगरौली जिला सीधी वर्तमान में जिला सिंगरौली के निवासी थी। ग्राम अमलौरी पवाईदर का गांव था। सन 1950 (संवत 2007) में रीवा राज्य कानून माल 1935 के अंतर्गत धारा 44 (2) (ख) के अंतर्गत पवाईदार शिवप्रसाद ने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/2875/[illegible]/15, सिंगरौली; आशुतोष / म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 05/अ-74/11-12 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुवत रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	